

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 30, सोमवार, शाके 1947- जुलाई 21, 2025 Asadha 30, Monday, Saka 1947- July 21, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 14, 2025

संख्या प.6(3)कृषि/ग्रुप-2/1996 पार्ट :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 28.01.1966 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, कुचामनसिटी की स्थापना की गई थी एवं अधिसूचना क्रमांक प.10(136)कृषि/ग्रुप-2/74 जयपुर दिनांक 03.11.1977 से कृषि उपज मण्डी समिति, कुचामनसिटी के मण्डी क्षेत्र परबतसर मे गौण मण्डी यार्ड की स्थापना की गई थी।

अब कृषि उपज मण्डी समिति, कुचामनसिटी द्वारा मण्डी क्षेत्र मौजा परबतसर मे गौण मण्डी यार्ड परबतसर हेतु आवंटित 4.00 हैक्टेयर भूमि पर गौण मण्डी यार्ड घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि गौण मण्डी यार्ड परबतसर से तात्पर्य वर्तमान क्षेत्र होगा, जिसकी सीमाएँ निम्न प्रकार से होगी:-

पूर्व दिशा मे - राजकीय आई.टी.आई. महाविद्यालय
पश्चिम दिशा मे - ग्राम परबतसर के खसरा संख्या 210,213 व 215
उत्तर दिशा मे - ग्राम परबतसर के खसरा संख्या 3164/3157
दक्षिण दिशा मे - ग्राम परबतसर के खसरा संख्या 207

गौण मण्डी यार्ड परबतसर की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

अशोक कुमार मीणा,
शासन उप सचिव।

7608

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।